<u>**न्यायालय, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, नवगछिया**</u>

<u>**सत्र वाद संख्या – 846/2017**</u>

<u>**C.I.S No. 846/2017 Tr. No. 139/2021**</u>

<u>**05.08.2024**</u> प्रस्तुत वाद के सभी दो अभियुक्तगण क्रमशः 1. हीरालाल मंडल एवं 2. भक्ता मंडल को फरार घोषित किया जा चुका है। अभियोजन की हाजिरी है। साक्षी अनुपस्थित है।

अभियोजन की ओर से अनुरोध किया गया कि अभियुक्तगण अनुपस्थित है। अभियुक्तगण को फरार घोषित किया जा चुका है। साक्षी उपस्थित नहीं हो रहे हैं। भविष्य में जब अभियुक्तगण उपस्थित होते हैं या उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में उपस्थापित किया जाता है, तब साक्षी प्रस्तुत किया जाएगा। फिलहाल अभियोजन का साक्ष्य अन्तर्गत धारा – 299 द0 प्र0 स0 बंद किया जाय।

सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्तगण क्रमशः 1. हीरालाल मंडल एवं 2. भक्ता मंडल को दिनांक 23.07.2024 को हीं प्रस्तुत वाद में फरार घोषित किया जा चुका है। अन्तर्गत धारा – 299 द0 प्र0 स0 अभियोजन को साक्षी प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। परन्तु साक्षी उपस्थित नही हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में अभियोजन का अनुरोध स्वीकृत करते हुए साक्ष्य अन्तर्गत धारा – 299 द0 प्र0 स0 बंद किया जाता है।

कार्यालय उपरोक्त फरार दोनों अभियुक्तों के विरूद्ध स्थायी अधिपत्र निर्गत करें एवं अभिलेख को अभिलेखागार में इस निर्देश के साथ जमा करें कि न्यायालय की अनुमति के बगैर अभिलेख को विनष्ट न किया जाय।

ह0/–
अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम,
नवगछिया, भागलपुर।